चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज- 5.0" महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण की नई दिशा"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5"

"मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट

वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

2. मूर्ति विसर्जन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा विसर्जन स्थल बुईया बाई तालाब सीतापुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही साथ किसी भी प्रकार अव्यवस्था होने पर तत्काल अवगत कराये तथा मूर्ति विसर्जन करने आये श्रद्धालुओं को अत्यधिक गहरे पानी में न जाने की हिदायत दी गयी।

3. प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु मिशन शक्ति (फेज-5) के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा माहिलाओं को व्यवसायिक चालक बनाये जाने के लिये ड्राइविंग प्रशिक्षण किफायती दरों पर दिलाये जाने हेतु जनपद चित्रकूट में संचालित प्राइवेट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिग स्कूल (सत्य साई), सीआईसी रोड, कर्वी में श्री शिवशरणप्पा जी.एन, जिलाधिकारी, श्री अरूण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, अमृतपाल कौर, मुख्य विकास अधिकारी, श्री आर०पी० सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), श्री रविशंकर, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं सुश्री दीप्ति त्रिपाठी, यात्रीकर/मालकर अधिकारी के उपस्थिति में दिनोंक 03 अक्टूबर 2025 को जिलाधिकारी द्वारा फीता काट कर उपस्थित 31 महिलाओं के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग हेतु रजिस्ट्रेशन का कार्य कराया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मोटर ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट हेतु स्टॉल सेमुलेटर एवं प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्टर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अभ्यर्थी महिलायें एवं डीसी एलआरएम, डीपीओ, ट्रेनिंग स्कूल के प्राचार्य आदि उपस्थित रहे।

4. जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीपावली मेले की तैयारी को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी को निर्देशित किया की बेडी पुलिया से रामघाट तक रोड के डिवाइडर के आसपास झाड़ियां कटाई छटाई एवं साफ सफाई कराये, शहर में कई स्थलों पर साफ सफाई अच्छी नहीं हो पा रही है शहरों में भी तत्काल सफाई कराये, आवारा पशु रामघाट, मेला क्षेत्र में प्रवेश न करें। इसे समय से गौशालाओं के अंदर,रामघाट पर साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए एवं कहां की रामघाट पर चेंजिंग रूम अधिक से अधिक लगाए। मेले के दौरान लाइटिंग, स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, खोया पाया केंद्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए ।तत्पश्चात उन्होंने राम सैया में बने रैन बसेरा का निरीक्षण किया एवं कहां की रेन बसेरा के अलावा कोई परमानेंट व्यवस्था हो जाए तो यह बना रहे एवं कहा कि जो पानी यहां पर इकट्ठा हो रहा है पाइप लाइन के माध्यम से इसे निकालकर गड्ढे में मिट्टी फीलिंग कराए ।उन्होंने उप जिलाधिकारी कर्वी को निर्देशित किया कि माइक्रो प्लान बनाकर कार्य डिवाइड कराकर व टीम लगाकर

कार्य कराए, कहा कि रैन बसेरा पर अतिरिक्त टेंट, पानी व लाइटिंग सांफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ।उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देशित कीए कि कुछ ट्रांसफार्मर अलग से भी लगे।

तत्पश्चात उन्होंने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया एवं अधिशासी अधिकारी कर्वी को निर्देशित किया कि जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हें हटाए । कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सामान ना हटाते हैं तो सामान को जप्त कर ले। परिक्रमा मार्ग पर बना रही नाली के संबंध में उन्होंने कहा कि यह समय से बनाएं एवं बचे हुए मटेरियल को मेला से पहले हटाए ।उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से कहा कि परिक्रमा मार्ग पर के लिए कोई उप जिलाधिकारी नामित करें कि टीम लेकर अतिक्रमण को हटाए ।

उन्होंने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया कि रामघाट प्रवेश द्वार पर बने प्रवेश द्वार पर लाइटिंग की व्यवस्था गेट की पॉलिश भी करना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि जो रामघाट पर पोल टूट गया है उसे सही कराए एवं पोल पर लाइटिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें ।उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम को निर्देशित किया कि लगातार मॉनेटरी करते रहे। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि मंदाकिनी नदी में जो स्टील के खंभे लगाए गए हैं उसे पर साइनिंग बोर्ड लगवाएं।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुश्री पूजा साहू, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री अखिलेश कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लालजीत, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री आर के रावत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित है।

5. श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफ0टी0सी0 श्रीमती इला चौधरी द्वारा आज दिनांक 03.10.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 67/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त कल्लू सोनकर पुत्र स्व0 सुकरू सोनकर निवासी नांदिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 11780/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।